

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक: संयुक्त विज्ञापन सं.- 06/परीक्षा/एसीएफ-वन रेन्ज ऑफिसर ग्रेड-1/2018-19

दिनांक : 04.04.2018

आयोग द्वारा वन विभाग हेतु सहायक वन संरक्षक एवं वन रेन्ज ऑफिसर ग्रेड-1 के पदों हेतु क्रमशः राजस्थान वन सेवा नियम, 1962 एवं राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई हैं तथा शासन से प्राप्त कुल रिक्त पदों (पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है) की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है :-

पदों की संख्या	U.R.				S.C.				S.T.				O.B.C.			
	सामान्य	सा.म.	विधवा	परित्यक्ता												
सहायक वन संरक्षक																
99	33	9	4	0	14	4	2	0	11	3	1	0	13	4	1	0
अनुसूचित जाति वर्ग में 7 पद एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग में 5 पद बैकलॉग के सम्मिलित हैं। जिनका रिक्ति वर्ष 2013-14 है।																
वन रेन्ज ऑफिसर ग्रेड-1																
70	26	9	2	0	8	3	0	0	6	2	0	0	10	3	1	0
दण्डवत आरक्षण - भूतपूर्व सैनिक 8 पद																

1. शैक्षणिक योग्यता (दोनों पदों हेतु) -

Bachelor's degree with at least one of the subjects namely Animal Husbandry & Veterinary Science, Botany, Chemistry, Computer Application/Science, Environmental Science, Horticulture, Geology, Mathematics, Physics, Statistics and Zoology or a Bachelor's degree in Agriculture, Forestry or in Engineering of any of the Universities incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, or possess an equivalent qualification.

2. अनिवार्य योग्यता (दोनों पदों हेतु) :- Working knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of Rajasthani Culture.

3. आयु :- दिनांक 01.01.2019 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम। (दोनों पदों हेतु)

4. वेतनमान (सहायक वन संरक्षक) :- Pay Matrix L- 14 वन रेन्ज ऑफिसर ग्रेड-1 :- Pay Matrix L- 11

आयु सीमा में छूट

क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग	अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)
1	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष	5
2	राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की महिला	10
3	सामान्य वर्ग की महिला	5
4	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला	अधिकतम आयु सीमा नहीं
5.	निःशक्तजन	10
	सामान्य	13
	पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग	15
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	15

अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट

1	The Government may in case of departmental candidates i.e. trained Rangers in Government Service relax the upper age limit by not more than 5 years. (केवल सहायक वन संरक्षक पद हेतु)
2	कैडेट प्रशिक्षकों के मामले में उपरिवाणित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जायेगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जायेगा।
3	भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व इस राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर Substantive रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
4	अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व अधिकायु नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।
5	राजस्थान राज्य के कारोबार/पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों में Substantive रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामलों में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
6	इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।
7	रिलीज्ड इमर्जेंसी कमीशन ऑफिसर/शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर सेवा में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिये इस प्रकार पात्र थे तो सेवा से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों पात्र समझा जायेगा।
8	The upper age limit mentioned above shall be 50 years in the case of ex-service personnel and the reservists namely the defence service personnel who were transferred to the Reserve. (केवल वन रेन्ज ऑफिसर ग्रेड-1 पद हेतु)

नोट -

- उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 एवं पत्र दिनांक 14.09.2017 के अनुसार यदि किसी आरक्षित वर्ग (SC/ST/BC/MBC) के अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे - आयु सीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जाएगा।
- आयोग द्वारा सहायक वन संरक्षक के पद आयोग द्वारा वर्ष 2011 में एवं रेन्जर ग्रेड-1 (वन रेन्ज ऑफिसर ग्रेड-1) के पद वर्ष 2011 से पूर्व विज्ञापित किये गये थे। तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया था। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23-09-2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2019 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी।

अन्य विवरण

चयन प्रक्रिया	The Examination scheme for recruitment shall consist of an examination and interview.
शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान	पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा।
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	इन पदों हेतु परीक्षा वस्तुनिष्ठ (Objective) रूप में (Offline/Online) ली जायेगी। सभी प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।
प्राथमिकता क्रम	अभ्यर्थी सहायक वन संरक्षक एवं वन रेन्ज ऑफिसर ग्रेड-1 के पदों हेतु अपनी प्राथमिकता क्रम का अंकन आवश्यक रूप से करें।
अवसर	For the Post of Assistant Conservator of Forest : The number of chances which a candidate, except in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes/Tribes, appearing at the examination can avail of, shall be restricted to two, excluding the chances which he has already availed of at examinations or selections for direct recruitment to a junior post in the Service.
परीक्षा का स्थान एवं माह	इन पदों की परीक्षा अजमेर केन्द्र पर आयोजित किए जाने की संभावना है, जिसकी तिथि आवेदन की अंतिम तिथि के उपरान्त यथाशीघ्र रखी जाएगी। परीक्षा स्थान में परिवर्तन करना आयोग पर निर्भर है। परीक्षा हेतु केन्द्र का आवंटन अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन कर सकता है। यदि आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो परीक्षा केन्द्र का निर्धारण अजमेर जिले से बाहर अन्य जिलों में भी किया जा सकता है।
आवेदन अवधि	दिनांक 27-04-2018 से दिनांक 16-05-2018 रात्रि 12-00 बजे तक।
आवेदन प्रक्रिया	1. अभ्यर्थियों द्वारा आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in/applyonline से एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल पर लॉगिन कर Recruitment Portal सर्विस का चयन करना होगा। 2. Recruitment Portal पर आधारित One Time Registration (OTR) कर अभ्यर्थी परीक्षा हेतु आवेदन कर सकता है। 3. अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा शुल्क परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरकर Recruitment Portal पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से भुगतान कर आवेदन क्रमांक जनरेट करना होगा। 4. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग न करें। 5. अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नहीं किया जायेगा। 6. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transaction का लम्बित सत्यापन समय रहते हो सके।
ऑनलाईन संशोधन	ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन दिनांक 17-05-2018 से दिनांक 23-05-2018 रात्रि 12-00 बजे तक।

Syllabus for the Competitive Examination for Rajasthan Forest Service

1- A candidate for the Rajasthan Forest Service must take all the compulsory subjects and any two of the optional subjects listed below. The time allowed for each paper shall be three hours.

(I) Compulsory subjects :

	Marks
1- General Knowledge	100
2- General English	100

(II) Optional Subjects :

Any two subjects out of the following – 200 marks (each)

1. Agriculture	2. Botany
3. Chemistry	4. Computer Application/Science
5. Engineering (Agricultural/Chemical/Civil/Computer/Electrical/Electronics/Mechanical)	6. Environmental Science
7. Forestry	8. Geology
9. Horticulture	10. Mathematics
11. Physics	12. Statistics
13. Veterinary Science	14. Zoology

(The standard of these subjects shall be equivalent to the prevalent standard of Indian Forest Service examination conducted by Union Public Service Commission, New Delhi)

Note : No candidate shall be allowed to take more than one subject from the following groups;

- (i) Agriculture, Agricultural Engineering and Veterinary Science.
- (ii) Chemical Engineering and Chemistry
- (iii) Computer Application/Science and Computer Engineering
- (iv) Electrical Engineering and Electronics Engineering
- (v) Mathematics and Statistics.

(Such of the candidate who qualify in the written test shall be required to appear for the personality and viva-voce examination, which carries maximum 75 marks)

	Physical Fitness		
	Height	Chest Girth	
		Normal	Expansion
(a) Male Candidates	163 cm.	84 cm.	05 cm.
Female Candidates	150 cm.	79 cm.	05 cm.
(b) For Forest Range Officer Grade-I : The following minimum height standards may be allowed in case of candidates belonging to Scheduled Tribes and races such as Assamese, Bhutanese, Garhwalies, Gorkhas, Kumaonis, Ladakhese, Mizo, Naga, Nepasese, Sikkimese and those from Arunachal Pradesh, Lahul & Spiti, Meghalaya;			
Male candidate :	152 cm.		
Female candidate :	145 cm.		
(c) Walking Test : Male/Female candidates must pass a physical efficiency test covering a distance of 25/16 kms walk within 4 hours on foot, respectively. This test will be arranged either by the Rajasthan Public Service Commission or by the State Government.			
(d) Medical Fitness Certificate issued by the Medical Board authorised by State Government.			

नोट : उक्त पदों हेतु परीक्षा के सभी प्रश्न पत्र (General English, General Knowledge and any two of the Optional subjects) वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।

- Note:** (1) Candidates who have obtained a minimum of 35% marks in each of the compulsory subjects and a minimum of 40% marks in the aggregate for the written test held by the Commission shall be considered to have obtained qualifying marks at the examination. The Commission may in its discretion award grace marks up to one in each of the compulsory papers and up to three in the aggregate. Such of the candidates who have obtained qualifying marks shall be called by the Commission for interview.
- (2) The commission shall not recommend any candidate who has failed to obtain a minimum of 33% marks in the personality and viva-voce examination and a minimum of 45% marks in the aggregate.
- (3) The Commission shall, in the case of women, candidates belonging to Backward Classes, Most Backward Classe, Scheduled Castes and Scheduled Tribes recommend the names of such candidates up to the number of vacancies reserved for them amongst those who have qualified for interview even if they fail to obtain the minimum marks in the personality and viva-voce examination or in aggregate prescribed under the aforesaid proviso.

विशेष नोट :-

- (1) अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाईल नम्बर अंकित करें जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS के माध्यम से चाहता है। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर बदलने/बन्द/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने के लिए अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (2) आयोग द्वारा अभ्यर्थी से किसी भी प्रकार का ऑफलाईन/लिखित संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा एवं उक्त 7 दिवस की ऑनलाईन संशोधन तिथि उपरान्त कोई भी परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

अन्य बिन्दु व सूचना :- परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त समय-समय पर जारी इस परीक्षा से संबंध सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट <http://www.rpsc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं.- 0145-2635212 एवं 2635200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(गिरिराज सिंह कुशवाहा)
सचिव